



The Rajasthan Finance Act, 2024

Act No. 7 of 2024

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

भाद्र 08, शुक्रवार, शाके 1946-अगस्त 30, 2024
Bhadra 08, Friday, Saka 1946- August 30, 2024

भाग-4(क)

राजस्थान विधान मण्डल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(गुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 29, 2024

संख्या प.2(15)विधि/2/2024.- राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 24 अगस्त, 2024 को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

राजस्थान वित्त अधिनियम, 2024

(2024 का अधिनियम संख्यांक 7)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 24 अगस्त, 2024 को प्राप्त हुई)

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी करने के लिए राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998, राजस्थान विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1962, राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017, और राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम.- इस अधिनियम का नाम राजस्थान वित्त अधिनियम, 2024 है।

2. 1958 के राजस्थान अधिनियम सं. 23 की धारा 3 के अधीन घोषणा.- राजस्थान अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 23) की धारा 3 के अनुसरण में, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि लोकहित में यह समीचीन है कि इस विधेयक के खण्ड 4, 6, 7, 10, 14, 15, 16, 17 और 18 के उपबंध, उक्त अधिनियम के अधीन तुरंत प्रभावी होंगे।

अध्याय 2

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 में संशोधन

3. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 2 का संशोधन.- राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14), जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में विद्यमान खण्ड (xxxvi) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“(xxxvi) “स्टाम्प” से इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य शुल्क के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी एजेन्सी या व्यक्ति द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा बनाया गया कोई चिह्न, मुहर या पृष्ठांकन अभिप्रेत है और इसमें कोई आसंजक या छापित स्टाम्प सम्मिलित है;”।

4. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 3 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 3 में, विद्यमान उपबंध “इस अधिनियम के उपबंधों और अनुसूची में अंतर्विष्ट छूटों के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित लिखते ऐसी रकम के शुल्क से प्रभार्य होंगी जो उस अनुसूची में क्रमशः उनके लिए उचित शुल्क के रूप में उपदर्शित की गयी हैं, अर्थात्,-

(क) उस अनुसूची में वर्णित ऐसी प्रत्येक लिखत, जो किसी व्यक्ति द्वारा पूर्व में निष्पादित की गयी न होते हुए, उस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को या उसके पश्चात् निष्पादित की गयी है;

(ख) उस अनुसूची में वर्णित ऐसी प्रत्येक लिखत, जो किसी व्यक्ति द्वारा पूर्व में निष्पादित नहीं की गयी है, उक्त तारीख को या उसके पश्चात् राज्य के बाहर निष्पादित की जाती है, राज्य में किये गये या किये जाने वाले किसी मामले या बात से संबंधित है और राज्य में प्राप्त की जाती है, या राज्य में स्थित किसी संपत्ति से संबंधित है;”, के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“(1) इस अधिनियम के उपबंधों और अनुसूची में अंतर्विष्ट छूटों के अध्यक्षीन रहते हुए, निम्नलिखित लिखते ऐसी रकम के शुल्क से प्रभार्य होंगी जो उस अनुसूची में क्रमशः उनके लिए उचित स्टाम्प शुल्क के रूप में उपदर्शित की गयी हैं, अर्थात्,-

(क) उस अनुसूची में वर्णित ऐसी प्रत्येक लिखत, जो किसी व्यक्ति द्वारा पूर्व में निष्पादित नहीं की गयी है, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को या उसके पश्चात् राज्य में निष्पादित की गयी है;

(ख) उस अनुसूची में वर्णित ऐसी प्रत्येक लिखत, जो किसी व्यक्ति द्वारा पूर्व में निष्पादित नहीं की गयी है, उक्त तारीख को या उसके पश्चात् राज्य के बाहर निष्पादित की जाती है, राज्य में किये गये या किये जाने वाले किसी मामले या बात से संबंधित है और राज्य में प्राप्त की जाती है, या राज्य में अवस्थित किसी संपत्ति से संबंधित है।

(2) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसी दशा में जब बीमाकृत व्यक्ति राजस्थान राज्य में निवास करता हो, या, यथास्थिति, बीमाकृत सम्पत्ति राजस्थान राज्य में स्थित हो, तो बीमा की लिखत पर संदेय स्टाम्प शुल्क राजस्थान राज्य में प्रभाय होगा।”।

5. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 30 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 30 में विद्यमान उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“(2) उप-धारा (1) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, स्थावर सम्पत्ति संबंधी लिखतों की दशा में, जिनका बाजार मूल्य स्टाम्प शुल्क की गणना करने के प्रयोजन के लिए अवधारित किया जाना अपेक्षित है, लिखत में वे समस्त विशिष्टियां, जो इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित की जायें, पूर्णतः और सही प्रकार से उपवर्णित की जायेंगी।”।

6. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 39 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 39 के परंतुक के खण्ड (क) के उप-खण्ड (ii) में, विद्यमान अभिव्यक्ति “या स्टाम्प शुल्क में कमी का पच्चीस प्रतिशत, जो भी उच्चतर हो, की” हटायी जायेगी।

7. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 44 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 44 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के उप-खण्ड (ii) में, विद्यमान अभिव्यक्ति “या स्टाम्प शुल्क में कमी का पच्चीस प्रतिशत, जो भी उच्चतर हो” हटायी जायेगी।

8. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 52-ख का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 52-ख की उप-धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति “या तो गलत है या” हटायी जायेगी।

9. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 58 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 58 के खण्ड (घ) में, विद्यमान अभिव्यक्ति “उसके किसी पक्षकार द्वारा निष्पादित किसी ऐसी लिखत के लिए उपयोग में लाया गया स्टाम्प” के स्थान पर अभिव्यक्ति “उसके किसी पक्षकार या पक्षकारों द्वारा निष्पादित किसी ऐसी लिखत के लिए उपयोग में लाया गया स्टाम्प” प्रतिस्थापित की जायेगी।

10. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की अनुसूची का संशोधन.- मूल अधिनियम की अनुसूची में,-

(i) अनुच्छेद 1 में,-

(क) स्तम्भ संख्यांक 1 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति “किसी ऋण की रकम या मूल्य में बीस रुपये से अधिक” के स्थान पर अभिव्यक्ति “किसी ऋण की रकम या मूल्य में दस हजार रुपये से अधिक” प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ख) स्तम्भ संख्यांक 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति “दस रुपये।” के स्थान पर अभिव्यक्ति “पांच सौ रुपये।” प्रतिस्थापित की जायेगी;

- (ii) अनुच्छेद 2 में, स्तम्भ संख्यांक 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "बंधपत्र के मूल्य का दो प्रतिशत।" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पांच सौ रुपये।" प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (iii) अनुच्छेद 5 में,-
- (क) खण्ड (क) में, स्तम्भ संख्यांक 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "दस रुपये।" के स्थान पर अभिव्यक्ति "शून्य।" प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (ख) खण्ड (ख) में, स्तम्भ संख्यांक 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "दो सौ रुपये अधिकतम के अध्यक्षीन रहते हुए, प्रतिभूति या शेयर के मूल्य के प्रत्येक दस हजार रुपये या उसके भाग के लिए दस रुपये।" के स्थान पर अभिव्यक्ति "दो सौ रुपये।" प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (ग) खण्ड (ड) के द्वितीय परन्तुक में, स्तम्भ संख्यांक 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "अनुच्छेद 44 के खण्ड (डडड)" के स्थान पर अभिव्यक्ति "अनुच्छेद 44 के खण्ड (च)" प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (घ) खण्ड (चच) के उप-खण्ड (i) में, स्तम्भ संख्यांक 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "न्यूनतम 100 रुपये के अध्यक्षीन रहते हुए, संविदा में करार की गई प्रत्येक 1000 रुपये या उसके भाग की रकम पर दो रुपये पचास पैसे।" के स्थान पर अभिव्यक्ति "न्यूनतम 100 रुपये के अध्यक्षीन रहते हुए, संविदा में करार की गई रकम का 0.25 प्रतिशत।" प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (ङ) खण्ड (चच) के उप-खण्ड (ii) में, स्तम्भ संख्यांक 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "संविदा में करार की गई रकम पर प्रत्येक 1000 रुपये या उसके भाग पर पांच रुपये।" के स्थान पर अभिव्यक्ति "संविदा में करार की गई रकम का 0.5 प्रतिशत।" प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (iv) विद्यमान अनुच्छेद 8 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-
- " 8. आंकना या मूल्यांकन जो किसी वाद के अनुक्रम में तीन सौ रुपये।
न्यायालय के आदेश के अधीन न किया जाकर
अन्यथा किया गया है। ;"
- (v) अनुच्छेद 9 में, स्तम्भ संख्यांक 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "चालीस रुपये।" के स्थान पर अभिव्यक्ति "शून्य।" प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (vi) विद्यमान अनुच्छेद 13 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

<p>13. पंचाट अर्थात् वाद अनुक्रम में न्यायालय के आदेश से अन्यथा किये गये किसी निर्देश में मध्यस्थ या अधिनिर्णायक द्वारा दिया गया कोई लिखित विनिश्चय जो विभाजन का निर्देश देने वाला पंचाट नहीं है:</p>	
<p>(क) यदि संपत्ति, जो पंचाट की विषय-वस्तु है, स्थावर संपत्ति है;</p>	<p>वही शुल्क, जो ऐसी संपत्ति के बाजार मूल्य या प्रतिफल पर, जो भी अधिक हो, हस्तांतरण पत्र [सं. 21 (i)] पर लगता है।</p>
<p>(ख) यदि संपत्ति, जो पंचाट की विषय-वस्तु है, जंगम संपत्ति है।</p>	<p>ऐसी संपत्ति के बाजार मूल्य या प्रतिफल पर, जो भी अधिक हो, 0.5 प्रतिशत।</p>

- (vii) अनुच्छेद 15 में, स्तम्भ संख्यांक 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "वही शुल्क जो उतनी रकम के बन्धपत्र (सं. 14) पर लगता है।" के स्थान पर अभिव्यक्ति "शून्य।" प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (viii) विद्यमान अनुच्छेद 16 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

<p>16. लिखतों का रद्दकरण-</p>	
<p>(क) पूर्व में निष्पादित किसी लिखत का रद्दकरण जिस पर अनुसूची के किसी अनुच्छेद के अनुसार स्टाम्प शुल्क संदत्त किया गया है और अनुसूची द्वारा उसके लिए विनिर्दिष्ट: अन्यथा उपबंध नहीं किया गया है-</p>	
<p>(i) यदि एक मास के भीतर निष्पादित किया जाता है</p>	<p>एक हजार रुपये।</p>
<p>(ii) यदि एक मास के पश्चात् निष्पादित किया जाता है</p>	<p>वही शुल्क जो मूल लिखत पर लगता है, यदि ऐसे रद्दकरण का प्रभाव मूल</p>

	<p>लिखत द्वारा पहले से हस्तांतरित संपत्ति का पुनः हस्तांतरण हो:</p> <p>परंतु यदि मूल लिखत, विक्रय पर हस्तांतरण है, तो ऐसी रद्दकरण लिखत पर संदेय स्टाम्प शुल्क, अनुच्छेद 21 (i) के अनुसार ऐसे रद्दकरण के निष्पादन की तारीख पर संपत्ति के बाजार मूल्य पर लगेगा।</p>
(ख) किसी स्थानीय प्राधिकारी या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन गठित अन्य प्राधिकारी या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के पूर्ण स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन किसी निगमित निकाय द्वारा या इनके निमित्त निष्पादित किसी लिखत का रद्दकरण;	एक सौ रुपये।
(ग) किसी अन्य मामले में।	पांच सौ रुपये। ;"

(ix) अनुच्छेद 19 में, स्तम्भ संख्यांक 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "पचास रुपये।" के स्थान पर अभिव्यक्ति "शून्य।" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(x) अनुच्छेद 21 में,-

(क) खण्ड (iii) में स्तम्भ संख्यांक 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "या रद्द" हटायी जायेगी;

(ख) विद्यमान खण्ड (iv) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

" (iv) यदि वह अंतरणीय विकास अधिकारों (टीडीआर) से संबंधित है-	
(क) जब भू-स्वामी के पक्ष में उसके द्वारा अभ्यर्पित भूमि के बदले में टीडीआर प्रमाणपत्र जारी किया जाता है	पांच सौ रुपये।
(ख) जब टीडीआर प्रमाणपत्र किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित किया जाता है।	संपत्ति के उस संबंधित भाग, जो हस्तांतरण विलेख की विषयवस्तु है और जिस पर अन्तरणीय विकास अधिकार सृजित हो रहे हैं, के बाजार मूल्य जो कि अन्तरणीय विकास अधिकार के बाजार मूल्य के बराबर है, का दो प्रतिशत या हस्तांतरण विलेख के प्रतिफल का दो प्रतिशत, जो भी अधिक हो। ;"

(ग) इस प्रकार संशोधित खण्ड (iv) के पश्चात्, निम्नलिखित नये खण्ड जोड़े जायेंगे, अर्थात्:-

" (v) अर्जक आस्तियों के संबंध में उधार का समनुदेशन।	उधार की रकम का 0.25 प्रतिशत।
(vi) अनर्जक आस्तियों के संबंध में उधार का समनुदेशन।	उधार की रकम का छह प्रतिशत। ;"

(xi) विद्यमान अनुच्छेद 22 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

" 22. प्रति या उद्धरण, जिसकी बाबत किसी लोक अधिकारी द्वारा या उसके आदेश से यह प्रमाणित किया गया है कि यह सही प्रति या उद्धरण है और जो न्यायालय फीस से संबंधित तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन प्रभार्य नहीं है।	एक सौ रुपये। ;"
---	-----------------

(xii) विद्यमान अनुच्छेद 23 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

" 23. कोई लिखत, जो कि शुल्क से प्रभार्य है और जिसके संबंध में उचित शुल्क संदत्त कर दिया गया है, का प्रतिलेख या दूसरी प्रति।	एक सौ रुपये	;"
---	-------------	----

(xiii) अनुच्छेद 26 में, स्तम्भ संख्यांक 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "दस रुपये।" के स्थान पर अभिव्यक्ति "एक सौ रुपये।" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(xiv) अनुच्छेद 27 में, स्तम्भ संख्यांक 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "पचास रुपये।" के स्थान पर अभिव्यक्ति "शून्य।" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(xv) अनुच्छेद 35-क में,-

(क) विद्यमान खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

" (ख) आयुध नियम, 2016 की अनुसूची 3 में यथा उपवर्णित निम्नलिखित प्ररूपों पर, आयुधों या गोला-बारूद से संबंधित अनुज्ञप्ति:-		
(i) प्ररूप 8	दस हजार रुपये	
(ii) प्ररूप 8-क	पाँच हजार रुपये	
(iii) प्ररूप 9	दस हजार रुपये	
(iv) प्ररूप 9-क	पाँच हजार रुपये	
(v) प्ररूप 14	पन्द्रह हजार रुपये	;"

(ख) विद्यमान खण्ड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

" (घ) आयुध नियम, 2016 की अनुसूची 3 में यथा उपवर्णित निम्नलिखित प्ररूपों पर, आयुधों या गोला-बारूद से संबंधित अनुज्ञप्ति का नवीकरण:-	
(i) प्ररूप 8	तीन हजार रुपये
(ii) प्ररूप 8-क	दो हजार रुपये
(iii) प्ररूप 9	तीन हजार रुपये
(iv) प्ररूप 9-क	दो हजार रुपये

(v) प्ररूप 14

पाँच हजार रुपये

;"

(xvi) अनुच्छेद 37 के विद्यमान खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

" जब कोई संपाश्विक या सहायक या अतिरिक्त या प्रतिस्थापित प्रतिभूति है, या ऊपर वर्णित प्रयोजन के लिए और आश्वासन के रूप में जहां कि मूल या प्राथमिक प्रतिभूति सम्यक् रूप में स्टांम्पित है।	वही शुल्क जो ऐसे विलेख द्वारा प्रतिभूत रकम के बन्धपत्र (सं. 14) पर लगता है।	;"
--	---	----

(xvii) विद्यमान अनुच्छेद 38 हटाया जायेगा;

(xviii) विद्यमान अनुच्छेद 41 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

" 41. भूमि उपयोग परिवर्तन या संपरिवर्तन का आदेश- राजस्थान नगरीय क्षेत्र (भूमि उपयोग परिवर्तन) नियम, 2010 या राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 के अधीन या किन्हीं अन्य सुसंगत नियमों के अधीन जारी भूमि उपयोग परिवर्तन या संपरिवर्तन का आदेश।	पाँच हजार रुपये।	;"
---	------------------	----

(xix) विद्यमान अनुच्छेद 44 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

" 44. धारा 2 (xxx) में यथापरिभाषित मुख्तारनामा जो परोक्षी नहीं है,-	
(क) जब वह एक ही संव्यवहार से सम्बन्धित एक या अधिक दस्तावेजों का रजिस्ट्रीकरण उपाप्त करने के एक-मात्र प्रयोजन के लिए या ऐसे एक या अधिक दस्तावेजों का निष्पादन [रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का अधिनियम सं. 16) की धारा 33 के अनुसार] स्वीकृत करने के लिए निष्पादित किया गया है;	प्रत्येक दस्तावेज के लिए पाँच सौ रुपये।

<p>(ख) जब वह अटर्नी को किसी स्थावर सम्पत्ति का विक्रय या अन्तरण करने के लिए प्राधिकृत करता है और इसे साधारणतया अप्रतिसंहरणीय या कतिपय कालावधि के लिए अप्रतिसंहरणीय बनाता है;</p>	<p>वही शुल्क जो ऐसे प्रतिफल की रकम या सम्पत्ति के बाजार मूल्य, जो भी अधिक हो, के हस्तान्तरण पत्र (सं. 21) पर लगता है।</p>
<p>(ग) जब वह अटर्नी को स्वयं के लाभ के लिए प्रतिफल को प्रतिधारित या उपयोग में लेने के लिए प्राधिकृत करते हुए, स्थावर सम्पत्ति में कोई हित या अधिकार सृजित करता है;</p>	<p>वही शुल्क जो ऐसे प्रतिफल की रकम या सम्पत्ति के बाजार मूल्य, जो भी अधिक हो, के हस्तान्तरण पत्र (सं. 21) पर लगता है।</p>
<p>(घ) जब वह प्रतिफल के लिए दिया गया है और अटर्नी को किसी स्थावर सम्पत्ति का विक्रय या अन्तरण करने के लिए प्राधिकृत करता है;</p>	<p>वही शुल्क जो ऐसे प्रतिफल की रकम या सम्पत्ति के बाजार मूल्य, जो भी अधिक हो, के लिए हस्तान्तरण पत्र (सं. 21) पर लगता है।</p>
<p>(ड) जब स्थावर सम्पत्ति का अन्तरण या विक्रय करने के लिए मुख्तारनामा प्रतिफल के बिना निम्नलिखित को दिया जाता है-</p>	
<p>(i) निष्पादी के पिता, माता, भाई, बहिन, पत्नी, पति, पुत्र, पुत्री, पौत्र या पौत्री;</p>	<p>दो हजार रुपये।</p>
<p>(ii) कोई भी अन्य व्यक्ति।</p>	<p>ऐसी सम्पत्ति के बाजार मूल्य का दो प्रतिशत, जो मुख्तारनामे की विषयवस्तु है:</p> <p>परंतु ऐसे मुख्तारनामे पर संदत्त स्टाम्प शुल्क ऐसे मुख्तारनामे के अनुसरण में हस्तांतरण पत्र के निष्पादन के समय बाद में हस्तांतरण पत्र पर प्रभार्य शुल्क की कुल रकम के प्रति समायोजित की जायेगी यदि ऐसा हस्तांतरण विलेख</p>

	मुख्तारनामे की तारीख से तीन वर्ष के भीतर निष्पादित किया जाता है।
(च) जब कोई स्थावर सम्पत्ति उस पर सन्निर्माण या उसके विकास या उसके विक्रय या अन्तरण (जिस किसी भी रीति से हो) के लिए संप्रवर्तक या विकासकर्ता को, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाये, दी जाये;	वही शुल्क जो सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर हस्तांतरण-पत्र (सं. 21) पर लगता है: परन्तु धारा 51 के उपबंध मुख्तारनामे की ऐसी लिखत पर यथावश्यक परिवर्तनों सहित, ऐसे लागू होंगे जैसे वे उस धारा के अधीन हस्तांतरण-पत्र पर लागू होते हैं: परन्तु यह और कि जब उन्हीं पक्षकारों के बीच और उसी सम्पत्ति के संबंध में किसी करार या करार के ज्ञापन पर अनुच्छेद 5 के खण्ड (ड) के अधीन उचित स्टाम्प शुल्क संदत्त किया जाये तो इस खण्ड के अधीन प्रभार्य शुल्क एक सौ रुपये होगा।
(छ) जब किसी अन्य मामले में दिया जाये।	प्राधिकृत किये गये प्रत्येक व्यक्ति के लिए पाँच सौ रुपये।
भली भाँति ध्यान दें: “रजिस्ट्रीकरण” पद के अन्तर्गत ऐसी प्रत्येक क्रिया आती है, जो रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का अधिनियम सं. 16) के अधीन रजिस्ट्रीकरण से आनुषंगिक है। स्पष्टीकरण:- इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए एक से अधिक व्यक्तियों की बाबत, उस दशा में जिसमें कि वे एक ही फर्म, कम्पनी या किसी अन्य विधिक निकाय के हैं, यह समझा जायेगा कि वे एक ही व्यक्ति हैं।	

- (xx) अनुच्छेद 45 में, स्तम्भ संख्यांक 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "दस रुपये।" के स्थान पर अभिव्यक्ति "एक सौ रुपये।" प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (xxi) अनुच्छेद 46 में, स्तम्भ संख्यांक 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "दस रुपये।" के स्थान पर अभिव्यक्ति "शून्य।" प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (xxii) विद्यमान अनुच्छेद 47 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

47. बंधकित संपत्ति का प्रतिहस्तान्तरण।	पांच सौ रुपये।
---	----------------

- (xxiii) विद्यमान अनुच्छेद 50 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

<p>50. प्रतिभूति-बंधपत्र या बंधक विलेख,-</p> <p>(i) किन्हीं पदीय कर्तव्यों के सम्यक निष्पादन के लिए प्रतिभूति के रूप में निष्पादित किया गया है या जो उसके आधार पर प्राप्त धन-राशि या अन्य संपत्ति का लेखा-जोखा देने के लिए निष्पादित किया गया है; या</p> <p>(ii) किसी संविदा के सम्यक् पालन या किसी दायित्व का सम्यक् निर्वहण सुनिश्चित करने के लिए किसी प्रतिभू द्वारा निष्पादित किया गया है; या</p> <p>(iii) उधार या ऋण के संदाय की प्रत्याभूति देने के प्रयोजनार्थ किसी व्यक्ति द्वारा प्रत्याभूति-दाता के रूप में किसी व्यक्ति द्वारा निष्पादित किया गया है; या</p> <p>(iv) उधार या ऋण के संदाय की प्रत्याभूति देने के प्रयोजनार्थ प्रत्याभूति-दाता के रूप में किसी कम्पनी या निगमित निकाय द्वारा निष्पादित किया गया है।</p>	<p>न्यूनतम एक हजार रुपये के अध्यक्षीन रहते हुए, प्रतिभूत रकम का आधा (0.5) प्रतिशत।</p>
---	--

छूटें: बंध पत्र या अन्य लिखत जब वह निष्पादित की जाये,-

- (क) किसी व्यक्ति द्वारा इस बात की प्रत्याभूति देने के प्रयोजनार्थ किसी खैराती औषधालय या अस्पताल या लोक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य के लिए दिये गये प्राईवेट चंदों से व्युत्पन्न स्थानीय आय प्रतिमास विनिर्दिष्ट राशि से कम नहीं होगी;
- (ख) ऐसे कृषकों द्वारा जिन्होंने सरकार से अग्रिम धन लिये हैं या उनके प्रतिभुओं द्वारा ऐसे अग्रिम धन के चुका दिये जाने के लिए प्रतिभूति के रूप में;
- (ग) सरकार के अधिकारियों द्वारा या उनके प्रतिभुओं द्वारा किसी पद के कर्तव्यों के सम्यक् निष्पादन को या उनके अपने पद के आधार पर प्राप्त

धन राशि या अन्य सम्पति का सम्यक् रूप से लेखा देने को सुनिश्चित करने के लिए।

(xxiv) इस प्रकार संशोधित अनुच्छेद 50 के पश्चात् और विद्यमान अनुच्छेद 51 के पूर्व, निम्नलिखित नया अनुच्छेद अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

<p>“ 50-क. वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 54) की धारा 7 की उप-धारा (1) और (2) के अधीन जारी की गयी प्रतिभूति रसीदें।</p>	<p>शुद्ध आस्ति मूल्य की रकम का 0.25 प्रतिशत।</p>
--	--

(xxv) अनुच्छेद 51 के खण्ड (ख) के उप-खण्ड (i) में, स्तम्भ सं. 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "वही शुल्क जो व्यवस्थापित रकम या संबंधित संपत्ति के बाजार मूल्य, जो प्रतिसंहरण लिखत में उपवर्णित हैं, के बराबर राशि के बंधपत्र (सं. 14) पर लगता है, किन्तु जो पचास रुपये से अधिक नहीं होगा।" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पाँच सौ रुपये।" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(xxvi) अनुच्छेद 53 में, स्तम्भ सं. 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "दस रुपये।" के स्थान पर अभिव्यक्ति "शून्य।" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(xxvii) अनुच्छेद 54 में, स्तम्भ सं. 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "एक सौ रुपये।" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पाँच सौ रुपये।" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(xxviii) अनुच्छेद 56 के खण्ड (क) के उप-खण्ड (ख) में, स्तम्भ सं. 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "वही शुल्क जो रकम या संबंधित संपत्ति के मूल्य के बराबर राशि पर बंधपत्र (सं. 14) पर लगता है, किन्तु जो साठ रुपये से अधिक नहीं होगा।" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पाँच सौ रुपये।" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(xxix) अनुच्छेद 56 के खण्ड (ख) में, स्तम्भ सं. 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "वही शुल्क जो रकम या संबंधित संपत्ति के मूल्य के बराबर राशि पर बंधपत्र (सं. 14) पर लगता है, किन्तु जो पचास रुपये से अधिक नहीं होगा।" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पाँच सौ रुपये।" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(xxx) अनुच्छेद 57 में, स्तम्भ सं. 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "दस रुपये।" के स्थान पर अभिव्यक्ति "शून्य।" प्रतिस्थापित की जायेगी।

अध्याय 3

राजस्थान विद्युत् (शुल्क) अधिनियम, 1962 में संशोधन

11. 1962 के राजस्थान अधिनियम सं. 12 में, नयी धारा 8ख का अन्तःस्थापन.- राजस्थान विद्युत् (शुल्क) अधिनियम, 1962 (1962 का अधिनियम सं. 12) की विद्यमान धारा 8क के पश्चात् और विद्यमान धारा 9 के पूर्व, निम्नलिखित नयी धारा 8ख अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

“8ख. कतिपय मामलों में विद्युत् शुल्क पर रिबेट.- इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि लोक हित में ऐसा किया जाना समीचीन है तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, और ऐसी शर्तों के अध्यक्षीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जायें, चाहे भविष्यलक्षी प्रभाव से या भूतलक्षी प्रभाव से, ऐसे उपभोक्ताओं को, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये जायें, विद्युत् शुल्क की पूरी रकम तक रिबेट अनुज्ञात कर सकेगी।”।

अध्याय 4

राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन

12. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 2 का संशोधन.- राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम सं. 9), जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 के विद्यमान खण्ड (61) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“(61) “इनपुट सेवा वितरक” से माल या सेवाओं या दोनों के ऐसे प्रदायकर्ता का कार्यालय अभिप्रेत है, जो इनपुट सेवाओं की प्राप्ति के मददे, जिसमें धारा 9 की उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के अधीन कर के लिए दायी सेवाओं के संबंध में बीजक सम्मिलित हैं या धारा 25 में निर्दिष्ट सुभिन्न व्यक्तियों के लिए या उनकी ओर से कर बीजक प्राप्त करता है और धारा 20 में उपबंधित रीति से ऐसे बीजकों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय के वितरण के लिए दायी है;”।

13. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 20 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 20 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“20. इनपुट सेवा वितरक द्वारा प्रत्यय के वितरण की रीति.- (1) माल या सेवाओं या दोनों के प्रदायकर्ता का कोई कार्यालय, जो इनपुट सेवाओं की प्राप्ति के मददे कर बीजक प्राप्त करता है, जिसमें धारा 9 की उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के अधीन कर के लिए दायी सेवाओं के संबंध में बीजक सम्मिलित है, धारा 25 में निर्दिष्ट सुभिन्न व्यक्तियों के लिए उनकी ओर से बीजक प्राप्त करता है, से धारा 24 के खण्ड (viii) के अधीन इनपुट सेवा वितरक के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया जाना अपेक्षित होगा और वह ऐसे बीजकों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय का वितरण करेगा।

(2) इनपुट सेवा वितरक, उसके द्वारा प्राप्त बीजकों पर राज्य कर प्रत्यय या प्रभारित एकीकृत कर का, जिसमें धारा 9 की उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के अधीन, उसी राज्य में सुभिन्न व्यक्ति द्वारा संदत्त कर उदग्रहण के अधीन सेवाओं के संबंध में राज्य या एकीकृत कर के प्रत्यय को उक्त इनपुट सेवा वितरक के रूप में रजिस्ट्रीकृत सम्मिलित करते हुए, ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर तथा ऐसे निर्बंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जायें, वितरण करेगा।

(3) राज्य कर के प्रत्यय का राज्य कर या एकीकृत कर के रूप में और एकीकृत कर का, एकीकृत कर या राज्य कर के रूप में जिसमें इनपुट कर प्रत्यय की रकम अन्तर्विष्ट हो, एक दस्तावेज जारी करके ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, वितरण करेगा।”।

14. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9, में नयी धारा 122क का अंतःस्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 122 के पश्चात् और विद्यमान धारा 123 के पूर्व, निम्नलिखित नयी धारा अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

“122 क. माल के विनिर्माण में प्रयुक्त कतिपय मशीनों को विशेष प्रक्रिया के अनुसार रजिस्ट्रीकृत करने में असफलता के लिए शास्ति.- (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई व्यक्ति, जो किसी ऐसे माल के विनिर्माण में लगा है, जिसके संबंध में धारा 148 के अधीन मशीनों के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित कोई विशेष प्रक्रिया अधिसूचित की गयी है, उक्त विशेष प्रक्रिया के उल्लंघन में कार्य करता है, तो वह किसी ऐसी शास्ति के अतिरिक्त, जो अध्याय 15 के अधीन या इस अध्याय के अन्य उपबंधों के अधीन उसके द्वारा संदत्त की गयी है या संदेय है, प्रत्येक ऐसी मशीन के लिए, जो ऐसे रजिस्ट्रीकृत नहीं है, एक लाख रुपये की रकम के बराबर किसी शास्ति के लिए दायी होगा।

(2) प्रत्येक ऐसी मशीन, जो ऐसे रजिस्ट्रीकृत नहीं है, उप-धारा (1) के अधीन शास्ति के अतिरिक्त, अभिग्रहण और अधिहरण के लिए दायी होगी:

परंतु ऐसी मशीन का अधिहरण नहीं किया जायेगा, जहां-

(क) इस प्रकार अधिरोपित शास्ति का संदाय कर दिया गया है; और

(ख) ऐसी मशीन का रजिस्ट्रीकरण, शास्ति के आदेश की संसूचना की प्राप्ति से तीन दिवस के भीतर, विशेष प्रक्रिया के अनुसार किया गया है।”।

अध्याय 5

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 में संशोधन

15. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 3 का संशोधन.- राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4), जिसे इसमें इसके पश्चात् इस

अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 की विद्यमान उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“(2) उप-धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उप-धारा (1) के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट व्यवहारी या वह व्यवहारी या व्यवहारियों का वर्ग जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाये, से भिन्न कोई व्यवहारी, जो माल का क्रय राज्य के किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी से करता है और ऐसे माल या ऐसे माल से विनिर्मित माल का विक्रय राज्य के भीतर करता है, धारा 4 की उप-धारा (3) के अधीन यथा-अधिसूचित दर से कर के संदाय का विकल्प इस शर्त के अध्यक्षीन रहते हुए दे सकेगा कि ऐसे व्यवहारी का वार्षिक पण्यावर्त-

(i) उप-धारा (1) के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट व्यवहारी के मामले में पचास लाख रुपये; और

(ii) अन्य व्यवहारियों के मामले में पचहत्तर लाख रुपये,

से अधिक न हो।”।

16. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 4 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 4 में,-

(i) उप-धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति “और अनुसूची-3 से अनुसूची-6 में विनिर्दिष्ट माल के विक्रय के कराधेय पण्यावर्त पर उक्त अनुसूचियों में” के स्थान पर अभिव्यक्ति “और अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट माल के विक्रय के कराधेय पण्यावर्त पर उक्त अनुसूची में” प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ii) उप-धारा (2) की, विद्यमान अभिव्यक्ति “अधिनियम की अनुसूची-3 से अनुसूची-6 में” के स्थान पर अभिव्यक्ति “अधिनियम की अनुसूची-1 में” प्रतिस्थापित की जायेगी;

(iii) उप-धारा (5) में, विद्यमान अभिव्यक्ति “अनुसूचियों को परिवर्धित या उनसे लोप” के स्थान पर अभिव्यक्ति “अनुसूची-1” प्रतिस्थापित की जायेगी और विद्यमान शब्द “अनुसूची” के स्थान पर अभिव्यक्ति “अनुसूची-1” प्रतिस्थापित किया जायेगा।

17. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 8 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 8 में,-

(i) विद्यमान उप-धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“(1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, राजपत्र में

अधिसूचना द्वारा, किसी भी शर्त के बिना या ऐसी किसी भी शर्त के साथ, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाये, किसी माल के विक्रय या क्रय को, कर से भविष्यलक्षी रूप से या भूतलक्षी रूप से, पूर्णतः या भागतः छूट दे सकेगी।”;

(ii) विद्यमान उप-धारा (2) हटायी जायेगी।

18. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की अनुसूचियों का संशोधन.- मूल अधिनियम में विद्यमान अनुसूचियां 1, 2, 3, 4, 5 और 6 और उनकी प्रविष्टियां, यदि कोई हों, के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूचियां और उनकी प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात्:-

अनुसूची-1

[धारा 4 की उप-धारा (5) देखिए]

निम्नलिखित दर पर कराधेय माल

क्र.सं.	माल का विवरण	कर की दर %	शर्त, यदि कोई हों
1	2	3	4
1.	हाई एण्ड लाइट स्पीड डीजल ऑयल	17.30	
2.	पेट्रोल	29.04	
3.	एविएशन टरबाईन फ्यूल (एटीएफ)	26	
4.	पेट्रोलियम क्रूड	5	
5.	तरलीकृत या गैसीय नेचुरल गैस	10	
6.	कम्प्रेसड नेचुरल गैस (सीएनजी)	10	
7.	पाइपड नेचुरल गैस (पीएनजी)	10	
8.	देशी शराब	10	
9.	विदेशी शराब, भारत में विनिर्मित विदेशी शराब और बीयर।	30	
10.	माल जो उक्त प्रविष्टियों में उल्लिखित नहीं है।	5.5	

अनुसूची-2

(धारा 8 की उप-धारा (3) देखिए)

व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को छूट

क्र.सं.	व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को छूट	शर्त, यदि कोई हों
1.	संयुक्त राष्ट्र संघ और उसकी घटक एजेन्सियां	
2.	विदेशी राजनयिक मिशन और उनके राजनयिक	
3.	राज्य में 'हब' स्थापित करने वाली एयरलाइन्स को एविएशन टरबाइन फ्यूल	
4.	(i) कैन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेंट, या (ii) रेजीमेंटल या सेना यूनिटों से संबद्ध यूनिट-रन कैन्टीन	
5.	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम	
6.	भारतीय रेल्वे	
7.	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन लि., राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण लि., अजमेर विद्युत वितरण निगम लि., जयपुर विद्युत वितरण निगम लि., जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि.	
8.	एयरलाइन्स, जो राज्य के ऐसे शहरों को पहली बार जोड़ती हैं, जिनमें हवाई सेवा नहीं है	
9.	प्रशिक्षण के लिए स्थापित रजिस्ट्रीकृत फ्लाइंग क्लब	
10.	राजस्थान में बी एस एफ कैन्टीनें	
11.	आबकारी विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी किये गये रिटेल ऑफ लाइसेंस धारक व्यवहारी	
12.	(i) जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लि. (ii) अजमेर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लि.	
13.	राजस्थान में सी आई एस एफ कैन्टीनें	
14.	राजस्थान में सी आर पी एफ कैन्टीनें	
15.	राज्य में हाई एण्ड लाइट स्पीड डीजल आयल विक्रय करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी	
16.	मैसर्स राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर	

17.	किसी ऐसी एयरलाइन, जो राजस्थान राज्य में और/या से वाणिज्यिक उड़ानों का संचालन करती है, को एविएशन टरबाईन फ्यूल विक्रय करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी	
18.	आबकारी विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी किये गये देशी शराब के खुदरा विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति धारक व्यवहारी	
19.	पेट्रोलियम कंपनियों के खुदरा आउटलेट वाले रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी	
20.	नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गयी "रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम-उड़ान" में यथा परिभाषित आरसीएस उड़ानों को संचालित करने वाले एयरलाइन आपरेटर को राज्य के भीतर अवस्थित आरसीएस एयरपोर्ट पर एविएशन टरबाईन फ्यूल का विक्रय करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी	
21.	विनिर्माताओं और संकर्म ठेकेदारों और खनन में लगे हुआँ को, जो राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम सं. 9) के अधीन रजिस्ट्रीकृत हैं, को हाई स्पीड डीजल विक्रय करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी	
22.	मैसर्स राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लि.	
23.	आबकारी विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी रिटेल ऑफ अनुज्ञप्तियां नहीं रखने वाले व्यवहारियों/व्यक्तियों को विक्रय की गयी विदेशी शराब, भारत में निर्मित विदेशी शराब और बीयर	
24.	राज्य में नागर विमानन निदेशालय द्वारा अनुमोदित किसी फ्लाईंग ट्रेनिंग आर्गनाईजेशन और एयरक्राफ्ट टाईप ट्रेनिंग आर्गनाईजेशन को एविएशन टरबाईन फ्यूल विक्रय करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी	

ब्रजेन्द्र कुमार जैन,
प्रमुख शासन सचिव।

**LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)**

NOTIFICATION

Jaipur, August 29, 2024

No. F. 2(15)Vidhi/2/2024.- In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Rajasthan Vitt Adhiniyam, 2024 (2024 Ka Adhiniyam Sankhyank 7):-

**(Authorised English Translation)
THE RAJASTHAN FINANCE ACT, 2024
(Act No. 7 of 2024)**

(Received the assent of the Governor on the 24th day of August, 2024)

An

Act

further to amend the Rajasthan Stamp Act, 1998, the Rajasthan Electricity (Duty) Act, 1962, the Rajasthan Goods And Services Tax Act, 2017 and the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 in order to give effect to the financial proposals of the State Government for financial year 2024-25.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-fifth Year of the Republic of India, as follows:-

**CHAPTER I
PRELIMINARY**

1. Short title.- This Act may be called the Rajasthan Finance Act, 2024.

2. Declaration under section 3, Rajasthan Act No. 23 of 1958.- In pursuance of section 3 of the Rajasthan Provisional Collection of Taxes Act, 1958 (Act No. 23 of 1958) it is hereby declared that it is expedient in the public interest that provisions of clauses 4, 6, 7, 10, 14, 15, 16, 17 and 18 of this Bill shall have immediate effect under the said Act.

CHAPTER II

AMENDMENT IN THE RAJASTHAN STAMP ACT, 1998

3. Amendment of section 2, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- In section 2 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, for the existing clause (xxxvi), the following shall be substituted, namely:-

"(xxxvi) "Stamp" means any mark, seal or endorsement made electronically or otherwise by any agency or person duly authorised by the State Government, and includes an adhesive or impressed stamp, for the purpose of duty chargeable under this Act;"

4. Amendment of section 3, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- In section 3 of the principal Act, for the existing provision "Subject to the provisions of this Act and the exemptions contained in the Schedule, the following instruments shall be chargeable with duty of the amount indicated in the Schedule as the proper duty therefore respectively, that is to say,-

- (a) every instrument mentioned in that Schedule, which, not having been previously executed by any person, is executed in the State on or after the date of commencement of this Act;
- (b) every instrument mentioned in that Schedule, which, not having been previously executed by any person, is executed out of the State on or after the said date, relates to any matter or thing done or to be done in the State and is received in the State, or relates to any property situate in the State:", the following shall be substituted, namely:-

"(1) Subject to the provisions of this Act and the exemptions contained in the Schedule, the following instruments shall be chargeable with duty of the amount indicated in the Schedule as the proper duty therefore respectively, that is to say,-

- (a) every instrument mentioned in that Schedule, which, not having been previously executed by any person, is executed in the State on or after the date of commencement of this Act;
- (b) every instrument mentioned in that Schedule, which, not having been previously executed by any person, is executed out of the State on or after the said date, relates to any matter or thing done or to be done in the State and is received in the State, or related to any property situate in the State.

(2) Notwithstanding anything contained in this Act, in case the insured person resides in the State of Rajasthan or as the case may be, insured property is situated in the State of Rajasthan, the stamp duty payable on the instrument of insurance shall be chargeable in the State of Rajasthan:".

5. Amendment of section 30, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- In section 30 of the principal Act, for the existing sub-section (2) the following shall be substituted, namely:-

"(2) Without prejudice to the generality of sub-section (1), in the case of instruments relating to immovable property, the market value of which is required to be determined for the purpose of calculating the Stamp duty, the instrument shall fully and truly set forth all the particulars which may be prescribed by rules made under this Act.".

6. Amendment of section 39, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- In sub-clause (ii) of clause (a) of the proviso to section 39 of the principal Act, the existing expression "or twenty five percent of the deficient stamp duty, whichever is higher," shall be deleted.

7. Amendment of section 44, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- In sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (1) of the section 44 of the principal Act, the existing expression "or twenty five percent of the deficient stamp duty, whichever is higher," shall be deleted.

8. Amendment of section 52-B, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- In sub-section (1) of section 52-B of the principal Act, the existing expression "either erroneous or" shall be deleted.

9. Amendment of section 58, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- In clause (d) of section 58 of the principal Act, for the existing expression "the stamp used for an instrument executed by any party thereto", the expression "the stamp used for an instrument executed by any party or parties thereto" shall be substituted.

10. Amendment of Schedule, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- In the Schedule of the principal Act,-

(i) in Article 1,-

(a) for the existing expression "a debt exceeding twenty rupees", appearing under Column No. 1, the expression "a debt exceeding ten thousand rupees" shall be substituted;

(b) for the existing expression "Ten rupees", appearing under Column No. 2, the expression "Five hundred rupees" shall be substituted;

(ii) in Article 2, for the existing expression "Two percent of the value of the bond" appearing under Column No. 2, the expression "Five hundred rupees" shall be substituted;

(iii) in Article 5,-

(a) in clause (a), for the existing expression "Ten rupees" appearing under Column No. 2 the expression "Zero" shall be substituted;

(b) in clause (b), for the existing expression "Subject to a maximum of two hundred rupees, ten rupees for every Rs. 10,000/- or part thereof, of the value of the security or share." appearing under Column No. 2, the expression "Two hundred rupees." shall be substituted;

(c) in second proviso of clause (e), for the existing expression "clause (eee) of Article 44" appearing under Column No. 2, the expression "clause (f) of Article 44" shall be substituted;

(d) in sub-clause (i) of clause (ff), for the existing expression "Two rupees and fifty paise for every rupees 1,000 or part thereof on the amount agreed in the contract subject to minimum of rupees 100." appearing under Column No. 2, the expression "0.25% of the amount agreed in the contract subject to minimum of rupees 100." shall be substituted;

(e) in sub-clause (ii) of clause (ff), for the existing expression "Five rupees for every rupees 1,000 or part thereof on the amount agreed in the contract." appearing under Column No. 2, the expression "0.5% of the amount agreed in the contract." shall be substituted;

(iv) for the existing Article 8, the following shall be substituted, namely:-

" 8. Appraisement or valuation made otherwise than under an order of the court in the course of a suit.	Three hundred rupees.
--	-----------------------

(v) in Article 9, for the existing expression "Forty rupees", appearing under Column No. 2, the expression "Zero" shall be substituted;

(vi) for the existing Article 13, the following shall be substituted, namely:-

" 13. Award , that is to say, any decision in writing by an arbitrator or umpire not being an award directing a partition, on a reference made otherwise than by an order of the court in the course of a suit:	
(a) If the property, which is the subject matter of award, is immovable property;	The same duty as on a conveyance [No. 21(i)] on the market value of such property or consideration, whichever is higher.
(b) If the property, which is the subject matter of award, is movable property.	0.5% on the market value of such property or consideration, whichever is higher.

(vii) in Article 15, for the existing expression "The same duty as on Bond (No. 14) for the same amount", appearing under Column No. 2, the expression "Zero" shall be substituted;

(viii) for the existing Article 16, the following shall be substituted, namely:-

" 16. Cancellation of Instruments-	
(a) Cancellation of any instrument previously executed on which stamp duty has been paid as per any article of the Schedule and not otherwise specifically provided for by the Schedule-	
(i) if executed within one month	One thousand rupees.
(ii) if executed after one month	Same duty as on the original instrument if such cancellation has the effect of re-conveyance of property already conveyed

	by the original instrument: Provided that, if the original instrument is a conveyance on sale, then the stamp duty payable on such cancellation instrument is, as per Article 21 (i), on the market value of the property as on the date of execution of such cancellation.
(b) Cancellation of any instrument executed by or on behalf of a Local Authority or other Authority constituted by or under any law for the time being in force or a body corporate wholly owned or controlled by the Central Government or the State Government;	One hundred rupees.
(c) in any other case.	Five hundred rupees.

;"

(ix) in Article 19, for the existing expression "Fifty rupees", appearing under Column No. 2, the expression "Zero" shall be substituted;

(x) in Article 21,-

(a) in clause (iii), the existing expression "or cancelled" appearing under Column No. 2 shall be deleted;

(b) for the existing clause (iv), the following shall be substituted, namely:-

" (iv) if relating to Transferable Development Rights (TDR)-	
(a) when TDR certificate is issued in favour of land owner in lieu of the land surrendered by him;	Five hundred rupees.
(b) when TDR certificate is transferred to another person.	Two percent on the market value of the Transferable Development Rights equal to the market value of the corresponding portion of the property leading to such

	Transferable Development Rights, which is the subject matter of conveyance; or two percent on consideration for such conveyance; whichever is higher.
--	---

;"

(c) after clause (iv) so amended, the following new clauses shall be added, namely:-

" (v) Assignment of debt in respect of performing assets.	0.25 percent of the amount of debt.
(vi) Assignment of debt in respect of non-performing assets.	6 percent of the amount of debt.

;"

(xi) for the existing Article 22, the following shall be substituted, namely:-

" 22. Copy or extract certified to be a true copy or extract, by or by order of any public officer and not chargeable under the law for the time being in force relating to court fees.	One hundred rupees.
--	---------------------

;"

(xii) for the existing Article 23, the following shall be substituted, namely:-

" 23. Counterpart or duplicate of any instrument chargeable with duty and in respect of which the proper duty has been paid.	One hundred rupees
---	--------------------

;"

(xiii) in Article 26, for the existing expression "Ten rupees", appearing under Column No. 2, the expression "One hundred rupees" shall be substituted;

(xiv) in Article 27, for the existing expression "Fifty rupees." appearing under Column No. 2, the expression "Zero." it shall be substituted;

(xv) in Article 35-A,-

(a) for the existing clause (b), the following shall be substituted, namely:-

" (b) Licence relating to arms or ammunitions on following Forms as set out in Schedule III to the Arms Rules, 2016:-	
(i) Form VIII	Ten thousand rupees
(ii) Form VIII-A	Five thousand rupees
(iii) Form IX	Ten thousand rupees

(iv) Form IX-A	Five thousand rupees
(v) Form XIV	Fifteen thousand rupees

(b) for the existing clause (d), the following shall be substituted, namely:-

" (d) Renewal of licence relating to arms or ammunitions on following Forms as set out in Schedule III to the Arms Rules, 2016:-	
(i) Form VIII	Three thousand rupees
(ii) Form VIII-A	Two thousand rupees
(iii) Form IX	Three thousand rupees
(iv) Form IX-A	Two thousand rupees
(v) Form XIV	Five thousand rupees

(xvi) for the existing clause (c) of Article 37, the following shall be substituted, namely:-

" (c) When a collateral or auxiliary or additional or substituted security or by way of further assurance for the above mentioned purpose where the principal or primary security is duly stamped.	The same duty as on a bond (No. 14) for the amount secured by such deed.
--	--

(xvii) the existing Article 38 shall be deleted;

(xviii) for the existing Article 41, the following shall be substituted, namely:-

" 41. Order of land use change or conversion- Order of land use change or conversion issued under the Rajasthan Urban Areas (Change of Land Use) Rules, 2010 or the Rajasthan Land Revenue (Conversion of agricultural land for non-agricultural purposes in rural areas) Rules, 2007 or under any other relevant rules.	Five thousand rupees.
---	-----------------------

(xix) for the existing Article 44, the following shall be substituted, namely:-

" 44. Power of Attorney- (as defined by section 2 (xxx), not being a proxy,-	
(a) when executed for the sole purpose of procuring the registration of one or more documents in relation to a single transaction or for admitting execution of one or more such documents [as per section 33 of Registration Act, 1908 (Act No. 16 of 1908)];	Five hundred rupees for each document.
(b) when authorising the attorney to sell or transfer any immovable property and is made irrevocable generally or irrevocable for a certain period;	The same duty as on conveyance (No. 21) for the amount of the consideration or market value of the property, whichever is higher.
(c) when creating any interest or right in immovable property by authorising the attorney to retain or use the consideration for the benefit of himself;	The same duty as on conveyance (No. 21) for the amount of the consideration or market value of the property, whichever is higher.
(d) when given for consideration and authorising the attorney to transfer or sell any immovable property;	The same duty as on conveyance (No. 21) for the amount of the consideration or market value of the property, whichever is higher.
(e) When power of attorney is given without consideration to transfer or sell immovable property to—	
(i) the father, mother, brother, sister, wife, husband, son, daughter, grandson or grand-daughter of the executant;	Two thousand rupees.
(ii) any other person.	Two percent of the market value of the property, which is the subject matter of power of attorney: Provided that the stamp duty paid on such power of attorney shall at the time of execution

	of a conveyance in pursuance of such power of attorney subsequently be adjusted towards the total amount of duty chargeable on the conveyance if such conveyance deed is executed within three years from the date of power of attorney.
(f) when given to promoter or developer by whatever name called, for construction on, or development of, or sale or transfer (in any manner whatsoever) of, any immovable property;	The same duty as on conveyance (No. 21) on the market value of the property: Provided that the provisions of section 51 shall, <i>mutatis mutandis</i> , apply to such an instrument of power of attorney as they apply to a conveyance under that section : Provided further that when proper stamp duty is paid under clause (e) of Article 5 on an agreement or memorandum of an agreement executed between the same parties and in respect of the same property, the duty chargeable under this clause shall be rupees one hundred.
(g) when given in any other case.	Five hundred rupees for each person authorised.
N.B.- The term 'Registration' includes every operation incidental to registration under the Registration Act, 1908 (Act No. 16 of 1908). Explanation.- For the purpose of this Article more persons than one when belonging to the same firm, company or any other legal entity shall be deemed to be one person.	

(xx) in Article 45, for the existing expression "Ten rupees", appearing under Column No. 2, the expression "One hundred rupees" shall be substituted;

(xxi) in Article 46, for the existing expression "Ten rupees", appearing under Column No. 2, the expression "Zero" shall be substituted;

(xxii) for the existing Article 47, the following shall be substituted, namely:-

47. Re-conveyance of mortgaged Property.	Five hundred rupees.
---	----------------------

(xxiii) for the existing Article 50, the following shall be substituted, namely:-

<p>50. Security Bond or Mortgage-deed,-</p> <p>(i) executed by way of security for the due execution of an office, or to account for money or other property, received by virtue thereof; or</p> <p>(ii) executed by a surety to secure the due performance of a contract or the due discharge of a liability; or</p> <p>(iii) executed by any person as a guarantor for the purpose of guaranteeing the repayment of loan or debt; or</p> <p>(iv) executed by any company or corporate body as a guarantor for the purpose of guaranteeing the repayment of loan or debt.</p>	Subject to a minimum of rupees one thousand, half (0.5) percent of the amount secured.
<p>Exemption: Bond or other instrument when executed,—</p> <p>(a) by any person for the purpose of guaranteeing that the local income derived from private subscriptions to a charitable dispensary or hospital or any other object of public utility shall not be less than a specified sum per mensem;</p> <p>(b) by agriculturists taking advances from the Government or by their sureties as security for the re-payment of such advances;</p> <p>(c) by officers of Government or their sureties to secure the due execution of an office or the due accounting for money or other property received by virtue thereof.</p>	

(xxiv) after Article 50 so amended and before the existing Article 51, the following new Article shall be inserted, namely:-

50-A. Security receipts issued under sub-sections (1) and (2) of section 7 of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (Central Act No. 54 of 2002).	0.25 percent of the amount of Net Asset Value.
---	--

- (xxv) in sub-clause (i) of clause (b) of the Article 51, the existing expression "The same duty as on Bond (No. 14) for a sum equal to the amount settled or the market value of the property concerned as set forth in the instrument of revocation, but not exceeding fifty rupees." appearing under Column No. 2, the expression "Five hundred rupees." shall be substituted;
- (xxvi) in Article 53, for the existing expression "Ten rupees.", appearing under Column No. 2, the expression "Zero." shall be substituted;
- (xxvii) in Article 54, for the existing expression "One hundred rupees.", appearing under Column No. 2, the expression "Five hundred rupees." shall be substituted;
- (xxviii) in sub-clause (b) of clause (A) of the Article 56, for the existing expression "The same duty as on bond (No. 14) for a sum equal to the amount or value of the property concerned but not exceeding sixty rupees." appearing under Column No. 2, the expression "Five hundred rupees." shall be substituted;
- (xxix) in clause (B) of the Article 56, for the existing expression " The same duty as on bond (No. 14) for a sum equal to the amount or value of the property concerned but not exceeding fifty rupees." appearing under Column No. 2, the expression "Five hundred rupees." shall be substituted;
- (xxx) in Article 57, for the existing expression "Ten rupees.", appearing under Column No. 2, the expression "Zero." shall be substituted.

CHAPTER III

AMENDMENT IN THE RAJASTHAN ELECTRICITY (DUTY) ACT, 1962

11. Insertion of new section 8B, Rajasthan Act No. 12 of 1962.- After the existing Section 8A and before the existing section 9 of the Rajasthan Electricity (Duty) Act ,1962 (Act No.12 of 1962), the following new section 8B shall be inserted , namely:-

“8B. Rebate on electricity duty in certain cases.- Notwithstanding anything contained in this Act, where the State Government is of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, it may, by notification in the Official Gazette, and subject to such conditions as may be specified therein, allow, whether prospectively or retrospectively, a rebate upto the full amount of electricity duty to such consumers as may be specified in the notification.”.

CHAPTER IV

AMENDMENT IN THE RAJASTHAN GOODS AND SERVICES TAX ACT, 2017

12. Amendment of section 2, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- For the existing clause (61) of section 2 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 9 of 2017), hereinafter referred to as the principal Act, the following shall be substituted, namely:—

"(61) "Input Service Distributor" means an office of the supplier of goods or services or both which receives tax invoices towards the receipt of input services, including invoices in respect of services liable to tax under sub-section (3) or sub-section (4) of section 9, for or on behalf of distinct persons referred to in section 25, and liable to distribute the input tax credit in respect of such invoices in the manner provided in section 20;"

13. Amendment of section 20, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- For the existing section 20 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:—

"20. Manner of distribution of credit by Input Service Distributor.- (1) Any office of the supplier of goods or services or both which receives tax invoices towards the receipt of input services, including invoices in respect of services liable to tax under sub-section (3) or sub-section (4) of section 9, for or on behalf of distinct persons referred to in section 25, shall be required to be registered as Input Service Distributor under clause (viii) of section 24 and shall distribute the input tax credit in respect of such invoices.

(2) The Input Service Distributor shall distribute the credit of State tax or integrated tax charged on invoices received by him, including the credit of State or integrated tax in respect of services subject to levy of tax under sub-section (3) or sub-section (4) of section 9 paid by a distinct person registered in the same State as the said Input Service Distributor, in such manner, within such time and subject to such restrictions and conditions as may be prescribed.

(3) The credit of State tax shall be distributed as State tax or integrated tax and integrated tax as integrated tax or State tax, by way of issue of a document containing the amount of input tax credit, in such manner as may be prescribed."

14. Insertion of new section 122A, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- After the existing section 122 and before the existing section 123 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:—

"122A. Penalty for failure to register certain machines used in manufacture of goods as per special procedure.- (1) Notwithstanding anything contained in this Act, where any person, who is engaged in the manufacture of goods in respect of which any special procedure relating to registration of machines has been notified under section 148, acts in contravention of the said special procedure, he shall, in addition to any penalty that is paid or is payable by him under Chapter XV or any other provisions of this Chapter, be liable to pay a penalty equal to an amount of one lakh rupees for every machine not so registered.

(2) In addition to the penalty under sub-section (1), every machine not so registered shall be liable for seizure and confiscation:

Provided that such machine shall not be confiscated where—

- (a) the penalty so imposed is paid; and
- (b) the registration of such machine is made in accordance with the special procedure within three days of the receipt of communication of the order of penalty."

CHAPTER V

AMENDMENT IN THE RAJASTHAN VALUE ADDED TAX ACT, 2003

15. Amendment of section 3, Rajasthan Act No. 4 of 2003.- In section 3 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, for the existing sub-section (2), the following shall be substituted, namely:-

"(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) a dealer other than those specified in clause (a) of sub-section (1) or the dealer or class of dealers as may be notified by the State Government, who purchases goods from a registered dealer of the State and sells, such goods or goods manufactured from such goods within the State, may opt for payment of tax on his turnover, at the rate as may be notified under sub-section (3) of section 4, subject to the condition that annual turnover of such dealer does not exceed-

(i) rupees fifty lacs, in case of a dealer specified in clause (b) of sub-section (1); and

(ii) rupees seventy five lacs, in case of other dealers."

16. Amendment of section 4, Rajasthan Act No. 4 of 2003.- In section 4 of the principal Act,-

(i) in sub-section (1), for the existing expression "and shall be levied on the taxable turnover of sale of goods specified in Schedule III to Schedule VI at the rate mentioned against each of such goods in the said Schedules", the expression "and shall be levied on the taxable turnover of sale of goods specified in Schedule I at the rate mentioned against each of such goods in the said Schedule" shall be substituted.;

(ii) in sub-section (2), for the existing expression "in Schedule-III to Schedule VI of the Act", the expression "in Schedule I of the Act" shall be substituted;

(iii) in sub-section (5), for the existing words "Schedules" and "Schedule", the expression "Schedule I" shall be substituted.

17. Amendment of section 8, Rajasthan Act No. 4 of 2003.- In section 8 of the principal Act,-

(i) for the existing sub-section (1), the following shall be substituted, namely:-

"(1) Notwithstanding anything contained in this Act, where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient in the public interest so to do, it may, by notification in the Official Gazette, exempt fully or partially, whether prospectively or retrospectively from tax the sale or purchase of any goods, without any condition or with such condition as may be specified in the notification.";

(ii) The existing sub-section (2) shall be deleted.

18. Amendment of Schedules, the Rajasthan Act No. 4 of 2003.- For the existing Schedules I, II, III, IV, V and VI and entries thereto, if any, of the principal Act, the following Schedules and entries thereto shall be substituted, namely:-

"SCHEDULE I

[See sub-section (5) of section 4]

Goods Taxable at following Rates

S.No.	Description of Goods	Rate of Tax (%)	Condition, if any
1.	2.	3.	4.
1.	High and light speed diesel oil	17.30	
2.	Petrol	29.04	
3.	Aviation turbine fuel (ATF)	26	
4.	Petroleum Crude	5	
5.	Natural Gas in Liquefied or Gaseous state	10	
6.	Compressed Natural Gas (CNG)	10	
7.	Piped Natural Gas (PNG)	10	
8.	Country Liquor	10	
9.	Foreign Liquor, Indian Made Foreign Liquor and Beer.	30	
10.	Goods not covered in above entries	5.5	

SCHEDULE II

[See sub-section (3) of section 8]

Exemption to Persons or Class of Persons

S.No.	Exemptions to person or Class of persons	Conditions, if any
1.	United Nations Organization and its constituent agencies	
2.	Foreign Diplomatic Missions and their diplomats	
3.	Aviation turbine fuel to any Airlines establishing 'HUB' in the State	
4.	(i) Canteen Stores Department, or (ii) Regimental or Unit-run Canteens attached to Military units.	
5.	Rajasthan State Road Transport Corporation	
6.	Indian Railways	
7.	Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Ltd., Rajasthan Rajya Vidyut Prasaran Ltd., Ajmer Vidyut Vitaran Nigam Ltd., Jaipur Vidyut Vitaran Nigam Ltd., Jodhpur Vidyut Vitaran Nigam Ltd.	
8.	Airlines which for the first time connect cities of the State having no air service	
9.	Registered Flying Clubs set up for training	
10.	BSF canteens in Rajasthan	
11.	Dealers having license for retail off, issued by the Excise Department, Government of Rajasthan.	
12.	(i) Jaipur City Transport Service Limited (ii) Ajmer City Transport Service Limited	
13.	CISF canteens in Rajasthan	
14.	CRPF canteens in Rajasthan	
15.	Registered dealers selling High and Light Speed Diesel Oil in the State	

16.	M/s. Rajasthan State Beverages Corporation Limited, Jaipur	
17.	Registered dealers selling Aviation Turbine Fuel to any airline which operates commercial flights in and/or from the state of Rajasthan	
18.	Dealers having license for retail sale of country liquor issued by the Excise Department, Government of Rajasthan.	
19.	Registered dealers having retail outlets of petroleum companies	
20.	Registered dealers selling Aviation Turbine Fuel at RCS Airports located within the State to airline operator which operates RCS Flights as defined in "Regional Connectivity Scheme –UDAN" issued by Ministry of Civil Aviation , Government of India	
21.	Registered dealers selling High Speed Diesel to manufacturers and works contractors and those engaged in mining, who are registered under the Rajasthan Goods and Service Tax Act, 2017(Act No.9 of 2017)	
22.	M/s Rajasthan State Ganganagar Sugar Mills Ltd.	
23.	Foreign Liquor, Indian Made Foreign Liquor and Beer, when sold to the dealers/persons not having retail off licenses issued by the Excise Department, Government of Rajasthan	
24.	Registered dealers selling Aviation Turbine Fuel to Flying Training Organisations and Aircraft type training Organisations approved by the Directorate General of Civil Aviation operating in the State of Rajasthan	

".

ब्रजेन्द्र कुमार जैन,

Principal Secretary to the Government.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।